



# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

14-अशोक मार्ग शक्ति भवन, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०- 39 - विनियम एवं काविनी / पाकालि/2015-11 विनियम/88 (टीसी)

दिनांक 12 मई, 2015

## कार्यालय-ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के निदेशक मण्डल की दिनांक 08.05.2015 को सम्पन्न हुई 115वीं बैठक में मद सं०-115(01) पर उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली-1970 (यथा संशोधित), जो कि सम्प्रति उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में लागू एवं प्रभावी है, के भाग-4 के प्रस्तर-10 के अद्यतन प्रभावी प्राविधानों (आदेश सं० 14-विनियम/2013 दिनांक 15.06.2013 द्वारा संशोधित) को विलोपित करते हुए एतद्वारा निम्नानुसार संशोधित एवं प्रतिस्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

A candidate for direct recruitment as 'Assistant Engineer (Trainee)' besides having sufficient knowledge in 'Hindi' in Devnagari Lipi, must hold the following qualifications :-

- (1) **Electrical Category-** A degree in Electrical Engineering or a mixed discipline (युग्म) degree combined with Electrical Engineering.
- (2) **Electronics and Telecommunication Category-** A degree in Electronics Engineering or Communication Engineering or Telecommunication Engineering or a mixed discipline (युग्म) degree combined with either Electronics Engineering or Communication Engineering or Telecommunication Engineering.
- (3) **Computer Science Category-** A degree in Computer Science Engineering or Information Technology or a mixed discipline (युग्म) degree combined with either Computer Science Engineering or Information Technology.

### Note:-

- (1) The U.P. Power Corporation Limited at its sole discretion reserves the right to ascertain and decide the number of vacancies to be filled up in each category. For recruitment against each such category, separate requisitions will be sent to Electricity Service Commission.
  - (2) The above degree must be obtained from a University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other Educational Institutions established by an Act of Parliament or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act 1956, as a full time regular degree course (OR) passed Section A and B of the Institution Examinations of the Institution of Engineers (India) in relevant discipline as mentioned above.
  - (3) Degree/ Diploma received through Distance Learning Education will not be eligible in direct recruitment as well as in promotion.
2. उपरोक्त संशोधनों के फलस्वरूप संगत विनियमावली उक्त सीमा तक संशोधित मानी जायेगी एवं उसके अन्य प्राविधान यथावत् रहेंगे।

निदेशक मण्डल

संख्या : 39 (1) - विनियम एवं काविनी / 2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

(क्रमशः .....2)

3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०/उ०प्र० रा०वि० उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा/कैस्को-कानपुर।
5. समस्त निदेशकगण, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/महाप्रबन्धक(औ०सं०)/अपर विधि अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को उनके पत्रांक-382/पाकालि/बैठक(115)/2015 दिनांक 08.05.2015 के सन्दर्भ में।
11. अधिशासी अभियन्ता (वेबसाइट)।
12. पत्रावली सं० 5-विनियम/88

12.05.15  
(राकेश कुमार श्रीवास्तव)  
अनुसचिव (विनियम)